



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक – 01 अक्टूबर, 2024

थाना जहांगीराबाद

ट्रैक्टर व जेसीबी को किराये पर लगवाने के नाम पर लेकर अन्य व्यक्तियों को बेचने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही से 07 ट्रैक्टर व 01 जेसीबी बरामदा

अवगत कराना है कि दिनांक 29-09-2024 को वादी गजेन्द्र सिंह पुत्र तोफा सिंह उर्फ बांकेलाल निवासी जुगसाना कलां थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर ने थाना जहांगीराबाद पर तहरीर दी कि 03 व्यक्ति उसकी जेसीबी व कुछ अन्य लोगो के ट्रैक्टर ये कहकर ले गये थे कि वे जेसीबी व ट्रैक्टरो को PWD में लगवायेगे तथा जेसीबी का किराया 70 हजार रुपये व ट्रैक्टर का किराया 20 हजार रुपये महीना देंगे लेकिन न तो इन्होंने किराया दिया और न ही जेसीबी व ट्रैक्टर वापस किये। इस सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-433/24 धारा 316(2),318(4),351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त के क्रम में थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.10.2024 को 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे/निशांदाही पर 07 ट्रैक्टर व 01 जेसीबी मशीन बरामद की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. अमित पुत्र लेखराज सिंह उर्फ लखीराम सिंह निवासी ग्राम जुगसाना थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. बाबी पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम जनौरा थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. सोनू उर्फ हर्ष पुत्र प्रवीन कुमार निवासी खैरपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त भोले-भाले व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाकर एवं प्रलोभन देकर व धोखाधडी कर ट्रैक्टर व जेसीबी किराये पर लगवाने के नाम पर लेते है और अन्य व्यक्तियों को फर्जी तरीके से बेच दे है तथा रुपये लेकर फरार हो जाते है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 07 ट्रैक्टर
2. 01 जेसीबी मशीन

गिरफ्तार अभियुक्त अमित का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-433/24 धारा 316(2),318(4),351(2) बीएनएस थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त बाबी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 110/22 धारा 380,411 भादवि थाना ईको-टेक जनपद बुलन्दशहर।
1. मुअसं-433/24 धारा 316(2),318(4),351(2) बीएनएस थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ हर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 409/21 धारा 420 भादवि थाना किठौर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअस- 01/23 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
1. मुअस-433/24 धारा 316(2),318(4),351(2) बीएनएस थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री महेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना जहांगीराबाद
2. उ0नि0 उम्मेद अली, उ0नि0 नितिन कुमार, उ0नि0 आनन्द कुमार
3. का0 सुखविन्द्र, का0 अनुराग



मीडिया सेल, बुलंदशहर